FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0136   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 09/07/2024 17:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 01/06/2014   Date To (दिनांक तक): 31/10/2016

   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 00:00 बजे   Time To (समय तक): 00:00 बजे

   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/07/2024   Time (समय): 15:00 बजे

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 09/07/2024 17:02:11 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 2 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

   (b) Address(पता): Nager Parshid Nagaur

   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ASHOK KUMAR GOYAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): UMESHCHANDER GOYAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1962 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	501, MIDAS TOUCH, ROAD NO.01, MALHOTRA NAGAR, V.K.I.A. JAIPUR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	501, MIDAS TOUCH, ROAD NO.01, MALHOTRA NAGAR, V.K.I.A. JAIPUR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANAKCHAND SANKHLA		पिता:CHGANLAL	1. RATHORI KUNWA,NAGAUR,RAJASTHAN,
2	SHOBHARAM		पती:MOHONRAM	1. KHTRIPURA-CHAINPURA,NAGAUR,RAJAST
3	SURESHCHAND SHARMA		पिता:RAMESHWER LAL SHARMA	1. BAHETIYO KI GALI,NAGAUR,RAJASTHAN,IN
4	RANJEETRAM SHARMA		पिता:PURKHARAM SHARMA	1. KARNI COLONY,NAGAUR,RAJASTHAN
5	KAMALESH KUMAR SHARMA		पिता:RAMESHWER LAL SHARMA	1. TANKEE KE PAAS,HOUSING BOURD COLONY,NAGAUR,RAJASTHAN
6	ANUJ KUMAR GUPTA		पिता:KARM CHAND GUPTA	1. E5/72,CHITRAKOOT STADIUM KE PAAS,VAISHALI NAGAR,JAIPUR (WEST),

				RAJASTHAN,INDIA
7	Pokar Ram CHOHAN		पिता:PUNA RAM	1. BEEJAPUR,BALI,PALI,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,86,280.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,86,280.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमानजी, निवेदन है कि परिवादी श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा ब्यूरो मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा शिकायत आर नम्बर 5159/2021 दिनांक 27.07.2021 विरूद्ध श्री माणकचन्द सांखला फीटर, श्री सुनील पुरोहित स्टोर मुशी, नगर परिषद आयुक्त, लेखाधिकारी नागौर दर्ज की जाकर एसीबी चौकी नागौर द्वारा जांच की जाकर जांच रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की गई। उक्त जांच रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त ब्यूरो मुख्यालय द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध प्राथमिक जांच पंजिबद्ध करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्राथमिक जांच के सत्यापन से पाया गया कि श्री माणकचन्द सांखला फीटर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर उपखण्ड, नागौर द्वारा जून 2014 से अक्टूबर 2016 तक नगर परिषद नागौर से 2,86,280/- रूपये बतौर टेम्पोरेरी एडवांस के उठाये गये और फर्जी हैण्डरिसिप्ट के द्वारा एकाउण्ट बनाया गया तथा श्री सुनील पुरोहित स्टोर मुंशी, सहायक अभियन्ता, लेखाधिकारी व आयुक्त के साथ मिलीभगत कर फर्जी भुगतान करके इस राशि का गबन कर राजकोष को हानि कारित की गई, जो निम्नानुसार है - यह है कि इम्प्रेस्ट राशि/टेम्पोरेरी एडवांस राशि PWFDAR के अनुसार JEN से नीची रेंक के अधिकारी/इन्चार्ज ऑफ ए सेक्शन (अधिकृत) को नहीं दिया जा सकता है तथा यह राशि 2,000/- रूपये से किसी भी रूप में ज्यादा नहीं हो सकती है एवं रूपये 10,000/- से अधिक राशि को स्वीकृत करने की पॉवर विभाग को ही है। यहां इन नियमों को ताक पर रखकर श्री माणकचन्द सांखला फीटर द्वारा बिना पॉवर फर्जी हैण्डरिसिप्ट द्वारा फर्जी भुगतान कर सरकारी रूपयों का गबन किया गया है। यह है कि चैक संख्या 793625 दिनांक 30.06.2024 को श्री माणक चन्द सांखला फिटर-।। को 11,150/- रूपये की राशि बतौर टेम्पोरेरी एडवान्स दिया गया, जिसको श्री माणकचन्द सांखला फिटर-।। द्वारा 12 हैण्डरिसिप्ट बनाई गई है एवं 11.04.2014 से 30.04.2014 तक 12 दिनों में विभिन्न स्थानों पर चोकिंग बताकर श्री सुरेश नाई पुत्र ताराचन्द व सागर मल पुत्र ताराचन्द को भुगतान कर दिया गया, जिसके लिये न तो जोब कार्ड काटा गया, न ही शिकायत पंजिका में शिकायत दर्ज है और ना ही स्टोर से जोईन्ट, पाईप इत्यादि इश्यू किये गये है। उक्त बिल बाउचर पर तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री कमलेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। चैक संख्या 235421 दिनांक 09.10.2014 को श्री माणकचन्द सांखला फिटर-।। को राशि 5300/- रूपये दी गई, जिसको 6 हैण्डरिसिप्ट लगाकर कार्य करना बताया गया है। जिसके लिये ना तो जोब कार्ड काटा गया है, ना ही शिकायत पंजिका में शिकायत दर्ज है और ना ही स्टोर से किसी भी प्रकार का सामान इश्यू किया गया है। बारी-बारी से श्री दुर्गाराम व श्री अर्जुनसिंह को भुगतान करना बताया गया है। उक्त बिल बाउचर पर तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री अनुज कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार चैक संख्या 235432 दिनांक 20.10.2014 द्वारा श्री माणकचन्द सांखला फिटर-।। को राशि 10050/- रूपये का भुगतान किया गया है, जिसको 11 हैण्डरिसिप्ट लगाकर भुगतान करना बताया गया है एवं बारी-बारी से एक बार श्री रमेश दूसरी बार श्री कंवराराम को भुगतान करना बताया गया है, इसमें भी जॉब कार्ड, शिकायत पंजिका में शिकायत व स्टोर से सामान इश्यू करने की एन्ट्री नहीं है। इसी प्रकार चैक संख्या 235449 दिनांक 19.12.2014 को श्री माणकचन्द सांखला फिटर-।। को राशि 6300/- रूपये का भुगतान किया गया है। चैक संख्या

235448 दिनांक 19.12.2014 द्वारा 6950/- रूपये का भुगतान किया गया है, लेकिन चैक संख्या 235448 द्वारा प्राप्त राशि 6950/- में हैण्डरिसिप्ट दिनांक 03.10.2014 से 11.10.2014 लगाई गई है जबकि चैक संख्या 235449 द्वारा प्राप्त राशि 6300/- रूपये में हैण्डरिसिप्ट दिनांक 19.09.2014 से 30.09.2014 तक लगाये गये है अर्थात पहले प्राप्त राशि में बाद में प्राप्त राशि से पूर्व की हैण्डरिसिप्ट लगाई गई है और बाद में प्राप्त राशि को पहले की हैण्डरिसिप्ट लगाकर समायोजित किया गया है। कैशीयर द्वारा भी कैश बुक में दिनांकवार एन्ट्री नहीं की गई है। राशि 6300/- रूपये को भी 7 हैण्डरिसिप्ट के द्वारा श्री कंवराराम, श्री अर्जुनसिंह व श्री गुमानसिंह को भुगतान किया गया है। इसमें भी कोई जॉब कार्ड, शिकायत पंजिका में शिकायत व स्टोर से सामग्री का भी कोई हवाला नहीं दिया गया है। उक्त बिल बाउचर पर तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री रणजीत राम शर्मा के हस्ताक्षर है। चैक संख्या 236924 दिनांक 26.05.2015 को राशि 16,370/- रूपये प्राप्त की है। इस राशि को 10,680/- रूपये 10 हैण्डरिसिप्ट व 2 बिल में खर्च करना बताया है। 10 हैण्डरिसिप्ट को श्री सोहनलाल व श्री अर्जुनसिंह को भुगतान किया गया है, जिसका भी किसी भी प्रकार से जॉब कार्ड, शिकायत रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर से सत्यापन नहीं होता है। बिल सं. 690 में MTS राशि 720/- रूपये की खरीद की गई है। उक्त बिल बाउचर पर तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री रणजीतराम शर्मा के हस्ताक्षर है। दोनों बिलों 690 व 691 से खरीद किया गया सामान स्टॉक रजिस्टर में ना तो इन्द्राज किया गया है ना ही इश्यू किया गया है तथा राशि 5690/- रूपये को 6 हैण्डरिसिप्ट में भुगतान करना बताया गया है जिसको बारी-बारी से श्री बहादुर राम, श्री दुर्गाराम व श्री अर्जुनसिंह को क्रम से भुगतान किया गया है। इस भुगतान में भी जॉब कार्ड, शिकायत रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर में वांछित इन्द्राज नहीं है। राशि 10010/- रूपये को 11 हैण्डरिसिप्ट में खर्च करना बताया गया है, जिसके लिये भी न तो जॉब कार्ड काटा गया है ना स्टॉक रजिस्टर में सामान जोईन्ट, पाईप इत्यादि इश्यू किये गये है और ना ही शिकायत पंजिका में इस कॉलोनी में पानी नहीं आने की शिकायत ही दर्ज है। उक्त बिल बाउचर पर भी तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री रणजीत राम शर्मा के हस्ताक्षर है तथा राशि 9980/- रूपये के Advance Account में 11 हैण्डरिसिप्ट लगाई गयी है। जिसमें 12 CI लाईन की रिपेयरिंग की गई है, जिसके लिये वार्षिक अनुबंध होता है, लेकिन नगर परिषद नागौर द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड अनुसार तत्समय इस कार्य हेतु वार्षिक अनुबंध नहीं था। नियमानुसार उस संवेदक से ही ठीक करवानी चाहिए, नहीं करने पर उसके बिल में से यह राशि काटनी होती है लेकिन इन सब नियमों का पालन नहीं किया गया है। यह है कि राशि 3600/- रूपये का भुगतान Chlorinator को ठीक करने के लिए 3 माह में 2 बार किया गया था, उक्त कार्य बहुत ही खतरनाक होता है जो बिना उपकरण व विशेषज्ञ के नहीं किया जा सकता है। गैस लीक होने पर इंसान की मृत्यु तक निश्चित है। उक्त भुगतान गलत तरीके से उठाया गया है तथा राशि 3600/- रूपये संजय कॉलोनी SR के नीचे बरसात का पानी भर जाने से आवश्यकता होने पर ट्रेक्टर से Dewatering की गई है, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि Dewatering पम्प के बिना पानी खाली नहीं हो सकता है और नगर परिषद के पास Flood Control की पूरी टीम की व्यवस्था होती है। यह कार्य उनसे ही करवाया जाना चाहिए था । अत यह गलत तरीके से भुगतान उठाया गया है। 12 CI लाईन का दिनांक 02.05.2015 को लीकेज दुरस्त करना बताया गया है। यह बगतासागर नागौर के Ward 17-18 में स्थित है। इसके लिये संवेदक मै0 श्री बालाजी कान्ट्रेक्टर को कार्यादेश 214-19 दिनांक 10.04.2015 को वार्ड संख्या 12 से 22 के लीकेज मरम्मत हेतु दिया गया था, लेकिन उससे यह कार्य नहीं करवाकर हैण्डरिसिप्ट से करवाया गया है, उक्त कार्य के बिल का भी गलत तरीके से भुगतान उठाया गया है। यह है कि मै0 रामानुज एण्ड कम्पनी को नागौर शहर के विभिन्न वार्डो में लीकेज ठीक करने का वार्षिक अनुबन्ध दिया गया था। यह अनुबन्ध कार्यादेश 12514, 12525 दिनांक 28.03.2014 को क्रमश वार्ड संख्या 01 से 10 व 11 से 20 के लिए दिया गया था तथा मै0 रामेश्वरलाल सोनी एण्ड कॉन्ट्रेक्टर को भी इसी प्रकार से कार्यादेश 12530-31 दिनांक 28.03.2014 द्वारा वार्ड संख्या 21 से 30 एवं कार्यादेश 12536-37 दिनांक 28.03.2014 द्वारा वार्ड 31 से 40 का वार्षिक अनुबन्ध दिया गया था। कार्मिक श्री माणकचन्द सांखला द्वारा विभागीय शर्तों में क्रम संख्या 2 के अनुसार बदले जाने वाले पुराने सामान को विभाग में पुन जमा करवाना आवश्यक होता है लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार कोई पुराना सामान जमा नहीं करवाया गया है। कार्मिक श्री माणकचन्द सांखला द्वारा 2 से 6 व 8 से 14 क्लेम्प लगाकर लीकेज निकालने का भुगतान किया गया है लेकिन स्टॉक रजिस्टर में इन क्लेम्प्स को इश्यू नहीं किया गया है। प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार कार्यालय में नियमित रूप से शिकायत पंजिका का संधारण नहीं किया गया है। यह है कि श्री माणकचन्द सांखला फीटर-।। को जून 2014 से अक्टूबर 2016 तक 2,86,280/- रूपये का एडवांस भुगतान किया गया है, जो PWFAR के नियमानुसार किसी भी सूरत में कनिष्ठ अभियन्ता रेंक के नीचे के कर्मचारी को किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जा सकती है और कनिष्ठ अभियन्ता रेंक के अधिकारी को भी एक बार में किसी भी परिस्थिति में 2000/- रूपये से ज्यादा राशि नहीं दी जा सकती है तथा 2000/- रूपये राशि का समायोजन सक्षम अधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात ही अगली 2000/- रूपये की राशि एडवांस दी जा सकती है। उक्त राशि को समायोजन करने का अधिकार 2000/- रूपये राशि तक अधिशाषी अभियन्ता तथा 5000/- रूपये तक अधीक्षण अभियन्ता व 10000/- रूपये तक मुख्य अभियन्ता और इससे उपर की राशि को समायोजित करने का अधिकार केवल प्रशासनिक विभाग को ही है, जबकि उक्त कार्य के पेटे 2,86,280/- रूपये का एडवांस भुगतान किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। यह है कि नगर परिषद नागौर में वार्षिक अनुबन्ध के द्वारा विभिन्न वार्डों के पाईप लाईन लीकेज निकालने का

कार्य टैण्डर प्रक्रिया द्वारा संवेदक को दिया जाता है, चोकिंग निकालने के कार्य का कोई अनुबंध नहीं होने के कारण उक्त कार्मिकों द्वारा चोकिंग के नाम से फर्जी भुगतान उठाया गया है। नगर परिषद नागौर में शिकायत पंजिका में किसी प्रकार की पाईप लाईन चोकिंग की कोई शिकायत का इन्द्राज नहीं है। पाईप लाईन की चोकिंग निकालने के लिए जेईएन द्वारा जॉब कार्ड भी नहीं काटा गया है, जो बिना जॉब कार्ड के किसी कर्मचारी द्वारा कार्य करने पर चोट पहुंचने अथवा मृत्यु हो जाने पर किसी प्रकार का क्लेम नहीं मिल पाता है तथा चोकिंग निकालने हेतु पाईप लाईन के अवरोध को निकालने के लिए गड्डा खोदना पडता है। पाईप लाईन को काटना पडता है। अवरोध हटाने के लिए उसमें राड, तार, पाईप तथा बांस की खप्पचियां इत्यादि चलाना पडता है तथा अवरोध निकालने के पश्चात वापिस उस पाईप को यथा स्थिति में जोडा जाता है, जिसके लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री जैसे पाईप, राड, तार, जॉईन्ट, रबर, रिंग, नट बोल्ट इत्यादि का स्टॉक रजिस्टर से आवंटन होता है जबकि नगर परिषद नागौर के स्टॉक रजिस्टर में इस प्रकार की चोकिंग निकालने के सामान का आवंटन नहीं हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त कार्य सिर्फ कागजों में ही किया जाकर गलत तरीके से भुगतान उठाया गया है। जिसमें श्री माणकचन्द सांखला तत्कालीन फिटर/जेईएन एवं कार्यालय शहरी जल प्रदाय योजना नगर परिषद नागौर द्वारा जून 2014 से अक्टूबर 2016 तक नगर परिषद नागौर से बतौर टेम्पोरेरी एडवांस/इम्प्रेस्ट राशि के उठाये गये भुगतान 2,86,280/- रूपये का विवरण निम्नानुसार है - 1. चैक संख्या 793625 दिनांक 30.06.2014 ओबीसी बैंक नागौर राशि 11150 रूपये, 2. चैक संख्या 235401 दिनांक 05.08.2014 ओबीसी बैंक नागौर राशि 10000 रूपये, 3. चैक संख्या 35421 दिनांक 09.10.2014 ओबीसी बैंक नागौर राशि 5300 रूपये, 4. चैक संख्या 235432 दिनांक 20.10.2014 ओबीसी बैंक नागौर राशि 10050 रूपये, 5. चैक संख्या 235433 दिनांक 20.10.2014 ओबीसी बैंक नागौर राशि 15400 रूपये, 6. चैक संख्या 235448 दिनांक 19.12.2014 ओबीसी बैंक नागौर राशि 6950 रूपये, 7. चैक संख्या 235449 दिनांक 19.12.2014 ओबीसी बैंक नागौर राशि 6300 रूपये, 8. चैक संख्या 236909 दिनांक 10.04.2015 ओबीसी बैंक नागौर राशि 18830, 9. चैक संख्या 236924 दिनांक 26.05.2015 ओबीसी बैंक नागौर राशि 16370 रूपये, 10. चैक संख्या 266945 दिनांक 29.06.2015 ओबीसी बैंक नागौर राशि 16130 रूपये, 11. चैक संख्या 236969 दिनांक 08.07.2015 ओबीसी बैंक नागौर राशि 10010 रूपये, 12. चैक संख्या 236978 दिनांक 06.11.2015 ओबीसी बैंक नागौर राशि 47990 रूपये, 13. चैक संख्या 566282 दिनांक 22.03.2016 केनरा बैंक नागौर राशि 21850 रूपये, 14. चैक संख्या 526291 दिनांक 30.03.2016 केनरा बैंक नागौर राशि 22420 रूपये, 15. चैक संख्या 196628 दिनांक 26.10.2016 केनरा बैंक नागौर राशि 34530 रूपये, 16. चैक संख्या 196629 दिनांक 29.10.2016 केनरा बैंक नागौर राशि 33000 रूपये। इस प्रकार श्री माणकचन्द सांखला तत्कालीन फिटर/जेईएन द्वारा नगर परिषद नागौर से जून 2014 से अक्टूबर 2016 तक बतौर टेम्पोरेरी एडवांस/इम्प्रेस्ट राशि कुल 2,86,280/- रूपये का भुगतान उठाया गया। यह है कि श्री माणकचन्द सांखला फिटर-।।, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड, नागौर द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व नगर परिषद नागौर के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत कर फर्जी हैण्डरिसिप्ट के द्वारा अकाउण्ट बनाकर जून 2014 से अक्टूबर 2016 तक नगर परिषद, नागौर से 2,86,280/- रूपये बतौर टेम्पोरेरी एडवान्स उठाये गये, जिसमें श्री शोभाराम स्टोर मुंशी द्वारा उक्त हैण्डरिसिप्ट से संबंधित न तो जॉब कार्ड काटा गया, न ही शिकायत पंजिका में शिकायत दर्ज है और ना ही स्टोर से जोईन्ट, पाईप इत्यादि इश्यू किये गये है तथा उक्त अवधि के बिलों को सहायक अभियन्ता श्री रणजीत राम शर्मा, श्री कमलेश कुमार शर्मा व श्री अनुज कुमार गुप्ता द्वारा अपने हस्ताक्षरों से भुगतान हेतु प्रमाणित किये गये जिस पर श्री सुरेशचन्द शर्मा सहायक लेखाधिकारी, नगर परिषद, नागौर व श्री पोकर राम चौहान, आयुक्त नगर परिषद नागौर द्वारा अपने हस्ताक्षरों से उक्त बिलों का नियम विरूद्ध भुगतान कर राजकोष को 2,86,280/- रूपये ही हानि पहुंचाई गई। इस प्रकार आरोपीगण श्री माणकचन्द सांखला तत्कालीन फोरमैन, श्री शोभाराम स्टोर मुंशी, श्री रणजीतराम शर्मा सहायक अभियन्ता, श्री कमलेश कुमार शर्मा सहायक अभियन्ता, श्री अनुज कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड नागौर, श्री सुरेशचन्द शर्मा सहायक लेखाधिकारी, नगर परिषद, नागौर व श्री पोकरराम चौहान, आयुक्त नगर परिषद, नागौर द्वारा आपस में मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नगर परिषद, नागौर से नियम विरूद्ध 2,86,280/- रूपये का एडवांस भुगतान उठाकर राजकोष को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाने पर आरोपीगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(सी), 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भा.दं.सं. का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अत उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजिबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र.नि.ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। भवदीया एसडी/- (कल्पना सोलंकी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर......... कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी), 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1- श्री माणकचन्द सांखला पुत्र श्री छगनलाल, निवासी राठौडी कुआ नागौर, जिला नागौर तत्कालीन फोरमैन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड, नागौर हाल सेवानिवृत। 2. श्री शोभाराम पुत्र श्री मोहनराम, निवासी खत्रीपुरा-चैनपुरा, नागौर

जिला नागौर तत्कालीन स्टोरमुंशी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड, नागौर हाल सेवानिवृत। 3. श्री सुरेशचन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर लाल शर्मा, निवासी बाहेतियों की गली, नागौर जिला नागौर तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी, नगर परिषद नागौर, जिला नागौर हाल सेवानिवृत। 4. श्री रणजीतराम शर्मा पुत्र श्री पुरखाराम शर्मा, निवासी करणी कॉलोनी नागौर, जिला नागौर तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड, नागौर हाल सेवानिवृत। 5. श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वरलाल शर्मा, निवासी टंकी के परास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नागौर, जिला नागौर तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड, नागौर हाल सेवानिवृत। 6. श्री अनुज कुमार गुप्ता पुत्र श्री करम चन्द गुप्ता,निवासी ई-5/72, चित्रकूट, चित्रकूट स्टेडियम के पास, वैशाली नगर, जयपुर तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड, नागौर हाल अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज0 जयपुर। 7. श्री पोकर राम चौहान पुत्र श्री पूनाराम जाति मेघवाल, निवासी बीजापुर तहसील बाली जिला पाली तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद नागौर, जिला नागौर हाल सेवानिवृत के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री तेजाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 741 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 703-710 दिनांक 09.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2 मुख्य अभियन्ता(प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, विभाग, राजस्थान जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर । 4 निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। 5 शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/ शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर। 6 शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर। 7 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर । 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(प्रा.जां.) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(प्राथमिक जांच संख्या 26/2022) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** TEJA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/07/2024 17:

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	07/10/1962				
2	Male	02/08/1959				
3	Male	22/02/1964				
4	Male	12/03/1961				
5	Male	12/07/1960				
6	Male	01/01/1968				
7	Male	05/07/1955				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)